लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल–462023
ई–मेलः dpividhya@gmail.com

कं/मान्यता/अ/2025/2158 भोपाल दिनांक 7/11/25

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
   लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   मध्यप्रदेश ।
3. समस्त अशासकीय संस्था अध्यक्ष/सचिव/
   प्राचार्य, हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी, मध्यप्रदेश।

विषयः–मध्यप्रदेश, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 (संशोधन नियम 2020 एवं यथा सशोधित नियम 2021) के अन्तर्गत वर्ष 2026–2027 की नवीन मान्यता, मान्यता नवीनीकरण, विषय वृद्धि , माध्यम वृद्धि, पता परिवर्तन हेतु समय सारणी ।

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 (संशोधन नियम 2020 एवं यथा सशोधित नियम 2021) के अन्तर्गत वर्ष 2026–2027 की नवीन मान्यता, मान्यता नवीनीकरण, विषय वृद्धि, माध्यम वृद्धि, पता परिवर्तन हेतु यू.आर.एल. https://manyta.dpimp.in/ के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार समय सारणी जारी एवं निर्देश जारी किए जाते हैः–

1. सर्वप्रथम संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा यथा संख्या के आधार (आवश्यकतानुसार) अशासकीय संस्थाओं के निरीक्षण हेतु निरीक्षण दलों का गठन तत्काल किया जाए।
2. संभागीय संयुक्त संचालक यह सुनिश्चित करेगें कि संस्थाओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत गठित निरीक्षण दल द्वारा संबंधित संस्था का 07 दिवस की समय सीमा में निरीक्षण कर प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड किया जाये।
3. निरीक्षण दल द्वारा पोर्टल पर प्रतिवेदन अपलोड करने के 07 दिवस के अंदर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उक्त रिपोर्ट के अनुक्रम में अपने स्पष्ट अभिमत सहित आवेदन ऑनलाईन रूप से संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक को अग्रेषित करेगा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा यथा संभव 07 दिवस किन्तु अधिकतम 15 दिवस की अवधि में संबंधित संस्था की मान्यता के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।
5. संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा संबंधित संस्था यदि मापदंड पूर्ण नहीं करती है तो उन्हे नियत मापदण्ड की पूर्ति अथवा वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय दिया जाये तथा संबंधित संस्था द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार मान्यता के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जायेगा। यदि संस्था द्वारा उक्त समयावधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में भी नियमानुसार प्रकरण का निराकरण समयसीमा में किया जाये।
6. संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा लिए गए निर्णय के विरूद्ध अशासकीय संस्थाओं द्वारा नियत केलेण्डर में उल्लेखित समय–सीमा में प्रथम एवं आवश्यकतानुसार द्वितीय अपील कमशः आयुक्त लोक शिक्षण एवं मान्यता समिति को प्रस्तुत की जा सकेगी। उक्त प्रस्तुत की जाने वाली अपील का आधार वे बिन्दु ही होगें जिनके आधार पर आवेदन संयुक्त संचालक द्वारा आवेदन अमान्य किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

मान्यता के प्रकरणों के निराकरण हेतु समय सारणी

क्र.	की जाने वाली कार्यवाही	अंतिम तिथि
01	अशासकीय संस्था द्वारा मान्यता पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन अपलोड करने की अवधि	दिनांक 15 दिसम्बर 2025 तक
02	बिलंब शुल्क सहित अशासकीय संस्था द्वारा मान्यता पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन पत्र अपलोड करना।	दिनांक 24 दिसम्बर 2025 तक
03	निरीक्षण प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड करने की समय सीमा।	संबंधित संस्था द्वारा ऑनलाईन आवेदन किए जाने के 07 दिवस की समय सीमा में की जाए।
04	गठित दल की अनुशंसा पोर्टल पर अपलोड करने एवं इस पर जिला शिक्षा अधिकारी की स्पष्ट अनुशंसा सहित प्रतिवेदन संभागीय संयुक्त संचालक को ऑनलाईन अग्रेषित करने हेतु कार्यवाही की अवधि।	दिनांक 31 दिसम्बर 2025 तक
05	संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा प्रकरण में निर्णय लेने एवं जिन प्रकरणों में मापदंड की पूर्ति नहीं होती है उन्हे ई–मेल के माध्यम से कमियों की पूर्ति किए जाने के संबंध में सूचित करने की अवधि ।	दिनांक 15 जनवरी 2026 तक
06	संस्था द्वारा कमी पूर्तियों के साथ पुनः दस्तावेज संभागीय संयुक्त संचालक को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 30 जनवरी 2026 तक
07	संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अथवा कमी पूर्ति संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्रकरण के निराकरण की स्थिति	दिनांक 07 फरवरी 2026 तक
08	जिन संस्थाओं के आवेदन संभागीय संयुक्त संचालक स्तर पर निरस्त हुए है, उनके द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश को ऑनलाईन प्रथम अपील करने की अंतिम तिथि	दिनांक 07 मार्च 2026 तक
09	विलंब शुल्क सहित प्रथम अपील ऑनलाईन किए जाने की अंतिम तिथि	दिनांक 15 मार्च 2026 तक
10	आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा प्राप्त प्रथम अपील के प्रकरणों के निराकरण की अंतिम तिथि।	दिनांक 07 अप्रैल 2026 तक
11	जिन संस्थाओं के आवेदन आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश स्तर पर निरस्त हुए है उनके द्वारा मान्यता समिति के समक्ष के माध्यम से द्वितीय अपील किये जाने की अंतिम तिथि।	दिनांक 07 मई 2026 तक
12	विलंब शुल्क सहित द्वितीय अपील ऑनलाईन किए जाने की अंतिम तिथि	दिनांक 15 मई 2026 तक
13	मान्यता समिति द्वारा द्वितीय अपील के प्रकरणों के निराकरण की अंतिम तिथि।	दिनांक 07 जून 2026 तक
14	संस्था द्वारा संबद्धता शुल्क जमा किए जाने पर माध्यमिक शिक्षा मण्डल (मान्यता प्राप्त होने के बाद) द्वारा संबद्धता दिया जाना।	मण्डल द्वारा निर्धारित तिथि तक

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(के.के.द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण म.प्र.

पृ0कं/मान्यता/अ/2025/2159 भोपाल, दिनांक 7/11/2025

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

Scanned with OKEN Scanner

3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. सचिव, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, शिवाजी नगर, भोपाल
5. समस्त जिला कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश।
6. प्रबंधक संचालक, निक्सी, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक
लोक शिक्षण म.प्र

Scanned with OKEN Scanner